

प्रेस नोट थाना खोराबार गोरखपुर दिनांक 08.01.2023

ऑपरेशन तमंचा 2.0 अभियान के तहत अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में किये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक खोराबार की पुलिस टीम उ0नि0 प्रभात सिंह, का0 सुरेन्द्र यादव व का0 दिनेशकुमार द्वारा मुखबिरी सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/23 धारा आईपीसी 336 भादवि व 7/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त कृष्णचन्द्र तिवारी पुत्र श्री दिनेश तिवारी निवासी आजाद नगर बिछिया PAC कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर हाल मुकाम विनय खण्ड 3 सामुदायिक केंद्र गोमती नगर विभूती खण्ड जनपद लखनऊ को एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

कृष्णचन्द्र तिवारी पुत्र श्री दिनेश तिवारी निवासी आजाद नगर बिछिया PAC कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा विनय खण्ड 3 सामुदायिक केंद्र गोमती नगर विभूती खण्ड जनपद लखनऊ

बरामदगी-

01 एक अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अं0सं0 383/12 धारा 147,323,504,427, भा0द0वि0 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 638/2017 धारा 147,148,149,323,452,427, भा0द0वि0 तथा 7 सीएलए एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 15/2023 धारा 336 भा0द0वि0 व 3/7/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म0 का नाम व नियुक्ति स्थान

1. उ0नि0 प्रभात सिंह थाना खोराबार, गोरखपुर
2. का0 सुरेन्द्र यादव, थाना खोराबार, गोरखपुर
3. का0 दिनेश कुमार थाना खोराबार, गोरखपुर